बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

विद्यापरिषद

की बैठक दिनांक 14.06.2018

- कार्यवाही विवरण
- विषय सूची
- अध्यक्ष की अनुमति से टेबल एजेण्डा
- विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /1611 /अका. / ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 27/06/2018

प्रति,

....

....

....

....

विषय :– दिनांक 14.06.2018 को आयोजित विद्यापरिषद बैठक की कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध मे।

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 14.06.2018 को आहूत की गई थी। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1612 /अका. / ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 27/06/2018

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
02. माननीय राज्यपाल महोदय के संयुक्त सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. समस्त विभाग प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /1540/ब.वि.वि./2018 जगदलपुर, दिनांक 18/06/2018

//विद्यापरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 14.06.2018 को पूर्वान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	श्री ए.आर चौरे प्रभारी कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव
3.	डॉ. कोमल सिंह शार्वा, प्राचार्य भानुप्रतापदेव शास.पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	संकायाध्यक्ष कला/विधि संकाय
4.	श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय
5.	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा	संकायाध्यक्ष वाणिज्य/प्रबंधन संकाय
6.	डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक शास. इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम	संकायाध्यक्ष समाजिक विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी संकाय
7.	डॉ. के. इंदिरा मूर्ति, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय
8.	डॉ. शरद नेमा,सह प्राध्यापक अध्ययनशाला ब.वि.वि., जगदलपुर	अध्यक्ष वानिकी एवं वन्यजीव

9.	श्री बी.एन. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष गणित
10.	डॉ. एस. के. दत्ता, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपरु	अध्यक्ष प्राणीशास्त्र
11.	श्री सुशील कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संगणक
12.	डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष मानवविज्ञान एवं जनजातीय
13.	डॉ. शिखा सरकार,सहायक प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा	अध्यक्ष इतिहास
14.	डॉ. एस.आर. बंजारे, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतावदेव शास.पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष हिन्दी
15.	सुश्री तस्नीम अख्तर, सहायक प्राध्यापक शास.पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष अंग्रेजी
16.	डॉ. डी.एल.पटेल, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतावदेव शास.पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष भूगोल
17.	श्री हंसराज रहंगडाले, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संस्कृत
18.	श्री एस.पी. तिवारी, सहायक प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष प्रा.भा.इतिहास
19.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
20.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
21.	डॉ. सजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
22.	डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी मूर्ति, प्राचार्य शास. महाविद्यालय, बकावंड	सदस्य
23.	डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, सरोना	सदस्य

उक्त सम्मिलित सदस्यों का स्वागत किया गया।

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय में शिक्षकों के भर्ती में रेगुलेशन 11 जुलाई 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित शिक्षकों के कैरियर प्रगति हेतु और उनके सीधी भर्ती संबंधी न्यूनतम अर्हताओं का पालन किया जावेगा। इस कार्य हेतु रेगुलेशन 11 जुलाई 2016 के मापदण्डों के अनुसार निम्नलिखित मूल्यांकन स्कोर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। इसी के अनुसार शिक्षकों के कैरियर प्रगति में और सीधी भर्ती में मेरिट लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जावेगा। इस प्रारूप को दो भागों में बांटा गया है :–

1. शिक्षकों के कैरियर प्रगति योजना (CAS) पदोन्नति हेतु प्राप्तांकों का मूल्यांकन सारिणी निम्नानुसार होगी :–
   1. सहायक आचार्य संवर्ग के चरण एक से चरण दो हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
   2. सहायक आचार्य संवर्ग के चरण दो से चरण तीन हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
   3. सहायक आचार्य संवर्ग के चरण तीन से चरण चार हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
   4. सह आचार्य संवर्ग के चरण चार से आचार्य (चरण पांच) हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
2. सीधी भर्ती हेतु सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के लिए मेरिट बनाने हेतु मूल्यांकन सारिणी निम्नानुसार होगी :–
   1. सहायक आचार्य के सीधी भर्ती हेतु मूल्यांकन सरिणी।
   2. सह आचार्य के सीधी भर्ती हेतु मूल्यांकन सारिणी।
   3. आचार्य के सीधी भर्ती हेतु मूल्यांकन सारिणी।

उक्त प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –2

विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांस एवं सीधी भर्ती विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 की उपधारा (2) के द्वारा की जाती है। वर्तमान में छ.ग. शासन द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 162, दिनांक 05 मई 2011 में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 की उपधारा (2) में संशोधित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

dwn

उक्त संशोधन अनुसार चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

(एक) कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(दो) विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ।

(तीन) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, जहॉ भी लागू हो।

(चार) विभाग के अध्यक्ष, यदि वह विभाग में आचार्य का पद धारण करता हो।

(पांच) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक शिक्षाविद्।

(छः) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ अल्पसंख्यकों/ भिन्न रूप में योग्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् जिसे कुलपति या कार्यकारी कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जावेगा, यदि चयन समिति का उपरोक्त कोई भी सदस्य इन वर्गों से संबंधित न हो।

धारा 49 की उपधारा (2) के अनुसार विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा तीन विषय विशेषज्ञों को अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए बुलाया जायेगा। अतः विद्यापरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विज्ञापित शिक्षकीय पदों हेतु पैनल बनाये जाने के लिए प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीपः–

विद्यापरिषद प्रत्येक विषय के लिए पैनल के नामों को प्रस्तावित करेगी और साक्षात्कार के लिए कुलपति को नियमानुसार अधिकृत किया जा सकता है।

निर्णय –

विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित प्रत्येक विषय का पैनल बनाने के लिए एवं इसी पैनल से नियमानुसार विषय के विशेषज्ञों को बुलाकर साक्षात्कार कराने के लिए कुलपति को सर्वसम्मति से विद्यापरिषद द्वारा अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक –3

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 1549/अका./2016 रायपुर, दिनांक 23.06.2016 के अनुसार विनियम क्रमांक –122 शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम 2016 को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत अंगीकृत करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

यथावत अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –4

उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014 रायपुर, दिनांक 18.07.2014 के अनुसार रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति संबंधी नियम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत अंगीकृत करने के संबंध में प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत।

dw n

निर्णय –

यथावत अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –5

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रारंभ करते हुए पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के वर्तमान एम.बी.ए. पाठ्यक्रम का सिलेबस, शुल्क विवरण को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत अंगीकृत करने संबंधी प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

यथावत अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –6

बस्तर विश्वविद्यालय में नियमित शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (Good Academic Record) के निर्धारण के संबंध में प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप –

अच्छा शैक्षणिक अभिलेख का अर्थ –

शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (Good Academic Record) का अर्थ – अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता निम्न से कम न हों –

(अ) स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक

(ब) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक

निर्णय –

विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –7

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में जारी किये गये वार्षिक अस्थायी संबद्धता संबंधी प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –8

तकनीकी शिक्षा,छ.ग. शासन, के प्रवेश नियम 2017 के अनुसार 20 प्रतिशत तीन वर्षीय स्नातक उपाधि बेचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.) अथवा

बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी में गणित विषय के प्राप्तांक के साथ स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2017–18 में बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित एम.सी.ए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में लेटरल एन्ट्री में तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑन–लाईन प्रवेशित दिया गया है।

उक्त प्रवेश की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2017–18 में एम.सी.ए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में लेटरल एन्ट्री में प्रवेशित छात्र–छात्राओं का परीक्षा परिणाम दिनांक 07.06.2018 को जारी किया गया है प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई। लेटरल एन्ट्री प्रवेशित छात्रों के लिए अध्ययन मंडल द्वारा शीघ्र नियम आदि तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी।

विषय क्रमांक –9

बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में सेमेस्टर परीक्षा 2018 के दौरान एम.एससी. रसायनशास्त्र प्रथम सेमेस्टर में परीक्षार्थी द्वारा उत्तरपुस्तिका का अदला–बदली कर प्रश्न पत्र हल किया गया है। जिसे UFM कमेटी के सदस्यों द्वारा उपरोक्त कृत्य को दण्डनीय मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

संबंधित विद्यार्थियों के उक्त प्रश्न को निरस्त कर परीक्षा परिणाम को घोषित की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक –10

अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

पूरक एजेण्डा

विषय क्रमांक –1

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 14.06.2018 को संगणक अध्ययन मंडल की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में M.Sc. IT दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अध्यादेश तैयार किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम का अध्यादेश लागू करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

संगणक अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित M.Sc. IT दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अध्यादेश एवं सिलेबस को मान्य किया गया।

कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

प्रभारी कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)